राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	264/2004 धन्नाराम / सीताराम — हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/2/18	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। समयाभाव के कारण आज आदेश लिखाया नहीं जा सका। अतः पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 05/3/2018 को पेश हो।	
05/3/18	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादी/अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व इस्तकरार हक इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया कि वादी आराजी ख.न. 956 रकबा 1.88 हैक्टयर स्थित ग्राम आमलोडा दूडी तहसील विराटनगर पर कदीम से बजमाने जागीर से काबिज काश्त है। इस प्रकार बरोज लागू होने राजस्थान टिनेंसी एक्ट दिनांक 15/10/1955 के दिन से भी वादी भूमि मुतनाजा पर बहैसियत काश्तकार काबिज था व काश्त कर रहा था किन्तु सेटलमेन्ट अधिकारियों ने सहवन से भूमि मुतनाजा की खातेदारी वादी के नाम न दर्ज कर भूमि को सरकारी दर्ज कर दिया जबकि उक्त भूमि से लगते हुये वादी एवं उसके भाई की खातेदारी की चाह ख.न. 957 व 958 बने हुये हैं जिनसे पानी लेकर वादी ने प्रश्नगत भूमि में फलदार एवं छायादार वृक्ष लगा रखे हैं व भूमि में फसल व पशुओं के लिये चारा वगैरह बोता रहता है।	

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	264/2004 पन्नाराम / सीताराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतिवादीगण का भूमि मुतनाजा से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है। प्रतिवादीगण ने परस्पर साज कर ली है एवं येन-केन प्रकारेण वादी को जबरन बेदखल कर खुद कब्जा करने पर आमादा है। वाद मे यह भी अंकित किया गया कि प्रतिवादी संख्या-4 इस समय ग्राम पंचायत का सरपंच है एवं वह इसी हैसियत से भूमि मुतनाजा को आबादी मे परिवर्तन करने की धमकी देने लगा है। वाद मे अंकित किया गया कि दिनांक 31/12/2001 को प्रतिवादीगण द्वारा ऐलानिया धमकी दी है कि वे जमीन मुतनाजा से वादी को जबरन बेदखल करके रहेगे व वादी के पेडो को नष्ट नष्ट कर देगे अथवा इसको आबादी मे परिवर्तित करा कर रहेगे जबकी आमलोडा ग्राम मे आबादी भूमि की कोई समस्या नही है। आबादी से लगता हुआ ख.न. 155 रकबा 0.77 हे० सिवायचक भूमि अभी भी खाली पड़ी हुई है। अतः वाद प्रस्तुत कर इस्तदुआ कि की वादी को भूमि मुतनाजा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कराया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे भूमि ख-न 956 रकबा 1.88 हैक्टयर वाके ग्राम आमलोडा इडी तहसील विराटनगर पर वादी के कब्जे काश्त मे	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	264/2004 — धन्नाराम / सीताराम — हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज — 3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कोई दखल नही करे एवं वादी को जबरन बेदखल नही करे। भूमि मे लगाये पेडो को नष्ट-भ्रष्ट न करे एवं भूमि की किस्म परिवर्तन की कोई कार्यवाही नही करे। वाद मे प्रतिवादीगण की ओर से जवाब वाद प्रस्तुत हुआ, जिसमे वादी के वाद को नकारते हुये अंकित किया कि प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7 के भूमि मुतनाजा पर बाडे बने हुये है तथा उनकी खाद की कूडी, इन्धन मौके पर पड़ा हुआ है। वादी का आराजी मुतनाजा पर कोई कब्जा व अधिकार नही है न ही उसके द्वारा मौके पर कोई पेड लगाये हुये है। आराजी मुतनाजा ग्राम आमलोदा डूडी की आबादी मे सटी हुई है ग्राम डूडी आमलोदी की आबादी बढ रही है इस कारण उपरोक्त भूमि की आबादी के लिये अति आवश्यकता होने के कारण ग्राम पचांयत डूडी आमलोदी की ग्राम सभा से सर्वसम्मति से दि० 15/8/2000 को प्रस्ताव स० 11 पारित कर जिला कलक्टर महो० को भिजवाया है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है। प्रश्नगत आराजी पर वादी का कभी कोई कब्जा नही रहा है। अतः वाद वादी खारिज फरमाया जावे। वाद में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 जाप्ता दीवानी के तहत इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत हुआ कि	

राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
264/2004	धन्नाराम / सीताराम	5

प्रकरण में यह आपत्ति आई है कि ग्राम पंचायत आमलोदा को पक्षकार नही बनाया है जिससे दावा चलने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र मे यह अंकित किया गया कि यद्यपि वादी ने वाद में ग्राम पंचायत के विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा है किन्तु यदि आवश्यक समझा जावे तो तदनुसार वाद के मद नम्बर -3 खण्ड संख्या-1 (क) एव ख के अनुसार दावे मे संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करे तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की आपत्ति बाबत् पक्षकार नही बनाये जाने ग्राम पंचायत पर सुनवाई की गई। इससे पूर्व दिनांक 21/7/2004 को वाद में निम्न तनकीयात कायम की गई..

(1) आया विवादित भूमि ख॰ नं॰ 956 पर वादी दिनांक 15/10/55 को तथा इससे पूर्व से काबिज चला आने से खातेदार काश्तकार घोषित होने का हकदार है। — वादी

(2) आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का हकदार है — वादी

(3) आया न्यायालय को श्रवणाधिकार नही है — प्रतिवादीगण।

(4) आया राजस्थान सरकार को कानूनी नोटिस नही देने से दावा चलने योग्य नही है — प्रतिवादी

(5) आया ग्राम पंचायत दुकी आमलोदा आवश्यक पक्षकार है — प्रतिवादी

(6) दादरसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	264/2004 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज — धन्नाराम / सीताराम 5	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या-5 के संदर्भ में सुनवाई की जाकर अपने निर्णय दिनांक 24/11/2004 के द्वारा यह धारित करते हुये कि ग्राम पंचायत दूदी-आमलोडा आवश्यक पक्षकार होने से उसके बिना दावा चलने योग्य नही है। दावा खारिज कर दिया गया। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 24/11/2004 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलार्थी द्वारा पेश की गई। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान द्वारा समाप्त की गई। अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपील में दिनांक 08/2/18 को लिखित बहस प्रस्तुत की गई, जिसमे वाद मे अंकित तथ्यो को ही दोहराया गया एवं बहस के दौरान मुख्य तथ्य यह रखा गया कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार व ग्राम पंचायत ~~को कि आदि~~ के खिलाफ कोई रिलिफ नही चाही है यदी ग्राम पंचायत को पक्षकार नही बनाया जाता है तो भी शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ ईकेवरीव डिक्री पारित की जा सकती है इस प्रकार ग्राम पंचायत केवल प्रोपर पार्टी है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यो पर गौर नही कर वादी का वाद खारिज करने मे त्रुटी की है। अतः अपील स्वीकार	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	धन्नाराम / सीताराम 264/2004 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 6	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

फरमाई जावे प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः प्रेषित किया जावे कि वे वाद का गुणावगुण पर निस्तारण फरमावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस मे हमारा ध्यान वाद में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित कर स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या-5 इस समय ग्राम पंचायत का सरपंच है एवं इसी हैसियत से वह पंचायत से झूठी मुतनावा को आबादी मे परिवर्तन करने की धमकी देने लगा है वाद मे यह भी अंकित किया गया है कि ग्राम आमलोडा मे आबादी की भूमि की कोई समस्या नही है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वाद के अनुतोष पैरा "ख" की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करा कर निवेदन किया कि उक्त अनुतोष पैरा मे वादी द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि भूमि की किस्म तब्दील की कोई कार्यवाही न करे न करावे, जिससे स्पष्ट है कि भूमि की किस्म परिवर्तन का अधिकार मात्र ग्राम पंचायत मे निहित है, जिससे वाद में ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार थी जिसके अभाव मे प्रस्तुत वाद चलने योग्य नही होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद सही तौर पर खारिज किया गया है। अतः अपील भी खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	धन्नाराम / सीताराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
264/2004	7	

इसने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद मुलतः यह धारित करते हुये खारिज किया है कि विचाराधीन प्रकरण मे ग्राम पंचायत दूदी आमलोडा आवश्यक पक्षकार होने से उसके बिना वाद चलने योग्य नही है। इसके संदर्भ मे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादी के वाद का विस्तृत विश्लेषण किया गया, जिसमे वादी स्वयं द्वारा यह अंकित किया गया है कि प्रश्नगत आराजी को ग्राम पंचायत द्वारा आबादी मे परिवर्तन करने की कार्यवाही की जा रही है जबकी ग्राम आमलोडा में आबादी भूमि की कोई समस्या नही है। इस प्रश्न का यही जवाब मात्र ग्राम पंचायत ही दे सकती थी किन्तु वादी द्वारा वाद में ग्राम पंचायत को पक्षकार ही नही बनाया, जिससे यदी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का अन्यथा निर्णय किया जाता है तो यह प्रश्न अनुउत्तरित रहता, जिसके अभाव में वाद का निर्णय अपूर्ण कहलाता। इसके अतिरिक्त वादी स्वयं द्वारा वाद के अनुतोष पैरा मे यह अनुतोष चाहा गया है कि भूमि की किस्म तब्दील की कोई कार्यवाही न करे न करावे,

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील अधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
264/2004	धन्नाराम / सीताराम 8	

जिससे स्पष्ट है कि किस्म परिवर्तन की कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा की जानी थी एवं ग्राम पंचायत के पक्षकार नही होने के अभाव में अधिनस्थ न्यायालय की डिक्री प्रभावशून्य होती क्युंकी किस्म परिवर्तित कराने की संस्था (ग्राम पंचायत) को पक्षकार ही नही बनाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसे पाबन्द किये जाने का आदेश ही पारित नही किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब वाद में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि प्रश्नगत आराजी ग्राम डूंडी आमलोडा की आबादी से सटी हुई है, ग्राम डूंडी आमलोडा की आबादी बढ रही है. इस कारण उपरोक्त भूमि की आबादी के लिये अति आवश्यकता होने के कारण ग्राम पंचायत डूंडी आमलोडा की ग्राम सभा ने सर्व सहमति से दिनांक 15/8/2000 को प्रस्ताव संख्या-11 पारित कर जिला कलक्टर महोदय को भिजवाया है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है, से स्पष्ट है कि उक्त प्रश्नगत आराजी को आबादी मे परिवर्तित कराने हेतु ग्राम पंचायत ने कार्यवाही की है, जिससे भी ग्राम पंचायत का पक्षकार होना आवश्यक हो जाता है जबकी वाद में

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	धन्नाराम / सीताराम 264/2004 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 9	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वादी द्वारा ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिसके अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद सही तौर पर खारिज किया गया है। अतः तदनुसार अपील भी उपरोक्त विवेचन के आधार पर खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24/11/2004 यथावत रखे जाते हैं।

पत्रावली कैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/3/2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर